न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 115/2024

प्रार्थी

1. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जाति राव निवासी नया खेडा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री नीलकंठ त्रिवेदी जाति त्रिवेदी निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. सरपंच ग्राम पंचायत सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री प्रकाश धवल, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री महेश रावल, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।
4. श्री अवधेश देवल, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 08.05.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत, सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री नीलकंठ पुत्र श्री भीमेश्वर निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 90 दिनांक 22.10.1988 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री महेश रावल एवं अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश देवल द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी और जबाव पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि दिनांक 22.10.1988 को अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत सातपुर ने गाँव नया खेडा का एक 50X20

जिला कलेक्टर, सिरोही

वर्गफीट का भूखण्ड होना मिथ्या दर्शातें हुये ग्राम पंचायत सांतपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने परिचित नीलकण्ठ पुत्र भीमेश्वर ब्राह्मण त्रिवेद्वी का मिथ्या कब्जा दर्शातें हुये विधि विरूद्ध रूप से आलौच्य पट्टा संख्या 90 जारी करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। ग्राम पंचायत सातपुर ने तत्समय मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विरूद्ध रूप से आलौच्य पट्टा संख्या 90 जारी किया है। असल में मौके पर मौजा नया खेडा नगर पालिका आबुरोड में 40 X50 कुल 2000 वर्गफीट का भूखण्ड प्रार्थी के पुश्तैनी मालिकी स्वामित्व का है, जिसके चारों ओर पुरानी नींव भरी हुई है तथा प्रार्थी व उसके परिवार का करीब 80–90 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से निर्बाध भौतिक कब्जा बिना बाधा व ऐतराज के शान्तिपूर्वक अप्रार्थी सख्या तीन नगरपालिका आबूरोड की जानकारी में निरन्तर चला आ रहा है। यह कि ग्राम पंचायत सांतपुर का गांव नयाखेडा को स्वायत शासन विभाग जयपुर के आदेश क्रमांकः एफ./148 एल.एस.बी./06/99/909 दिनांक 28.06.1988 के अनुसार आबूरोड नगरपालिका की सीमा का विस्तार कर नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो चुका है तथा ग्राम नयाखेडा जो पूर्व में ग्राम सांतपुर का भाग था, उक्त आदेश के बाद नगरपालिका क्षेत्र के अधीन हो चुका था, जिस पर नगरपालिका आबूरोड द्वारा दिनांक 05.08.1988 को ग्राम पंचायत सांतपुर को पत्र प्रेषित कर सूचित किया था कि नगरपलिका क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम नयाखेडा के समस्त क्षेत्र की भूमि का रेकर्ड नगरपालिका को सुपुर्द करावें तथा उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार के भूखण्ड या पट्टे आदि का नियमन/आवंटन नहीं करें, जिसकी पालना में ग्राम नयाखेडा का समस्त रेकर्ड भी नगर पालिका आबूरोड में हस्तान्तरित कर दिया गया था। इस संदर्भ में श्रीमान जिला कलेक्टर सिरोही ने दिनांक 20.08.1988 को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र की भूमि का रेकर्ड नगरपालिका आबूरोड को सुपुर्द करने बाबत् ग्राम पंचायत सांतपुर को पत्र प्रेषित किया था। इस प्रकार तत्समय मौजा नया खेडा नगरपालिका आबूरोड के अधीन हो गया था तथा ग्राम पंचायत सांतपुर को मौजा नया खेडा के भूखण्ड का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या एक के पिता का मिथ्या कब्जा होना बताकर आलौच्य पट्टा संख्या 90 विधि के विरूद्ध जाकर जारी करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल कारित की है। यह कि वर्ष 1988 में ग्राम पंचायत सांतपुर के तत्कालीन संरपच ने अपने हितेषी अप्रार्थी संख्या एक के पिता नीलकण्ठ त्रिवेद्वी को सदोष लाभ देने की नियत से एक काल्पनिक 50X20 वर्गफीट का भूखण्ड होना मिथ्या दर्शातें हुये उक्त पट्टा संख्या 90 जारी किया तथा मौके पर इस नाप व पैमाईश का कोई भूखण्ड नहीं होने पर तथा मौके पर प्रार्थी व उसके परिवार का पुश्तैनी कब्जा अधिपत्य होने से अप्रार्थी संख्या एक के पिता ने प्रार्थी के पिता बाबुलाल व अन्य के विरूद्ध एक दावा न्यायालय सिविल एवं न्यायिक मजि. आबूरोड प्रथम वर्ग के समक्ष प्रार्थी के पिता बाबुलाल का अविधिक कब्जा होना बताकर पेश किया, जिसका मूल वाद संख्या 109/88 है तथा उक्त मूल वाद के साथ में अप्रार्थी संख्या एक के पिता ने उक्त सिविल न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसका दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 56/88 है, जिसे माननीय न्यायालय सिविल व न्यायिक मजि. प्रथम वर्ग द्वारा आदेशित किये जाने से पूर्व मौके की स्थिति स्पष्ट किये जाने के आशय से मौका कमिश्नर नियुक्त कर स्वयं पीठासीन अधिकारी सिविल न्यायाधीश ने मौके की स्थिति का अवलोकन किया तो विवादित पट्टा संख्या 90 में अंकित नाप व पैमाईश व चतुर्दशी का ऐसा कोई भूखण्ड मौके पर होना नही पाया गया तथा पंचायत द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना पट्टा जारी किया जाना पाया गया तथा पट्टे की असल व सत्य प्रति में कांट छांट होना भी पाया गया तथा माननीय सिविल न्यायालय ने अपनी मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 06.02.1990 को अप्रार्थी संख्या के पिता द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये यह मत भी दिया कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा मौजा नया खेडा नगरपालिका क्षेत्र के अधीन आ चुका था तथा ग्राम पंचायत सांतपुर को पट्टा जारी करने का अधिकार भी नहीं था, इस प्रकार ग्राम पचायत सांतपुर द्वारा विधि विरूद्ध पट्टा संख्या 90 जारी होने से खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा जारी आलौच्य, पट्टा संख्या 90 दिनांक 22.10.1988 को खारिज करना फरमावें।

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 03

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा गाँव नयाखेडा में 50 गुणा 20 वर्गफीट का भूखण्ड होना दर्शाते हुए पट्टा संख्या 90 जारी करने से पूर्व मिसल संख्या 14 दिनांक 30.07.1983 को संधारित की थी एवं मौके की विधिवत् जाँच कर एवं मनोनित सदस्यों द्वारा मौके का पर्यवेक्षण कर उनकी रिपोर्ट व अनुशंषा के पश्चात् ग्राम पंचायत में नियमानुसार प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर प्रार्थी नीलकण्ठ से भूमि का मूल्य रूपये 1000 प्राप्त कर उसकी नियमानुसार रसीद काटकर पूर्ण जांच कर विधि सम्मत पट्टा दिनांक 22.10.1988 को जारी किया गया। तत्पश्चात् उसका नियमानुसार पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय आबूरोड में दिनांक 27.10.1988 को पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार से उक्त पट्टा विधिसम्मत जारी किया गया है एवं उक्त पट्टा एक पंजीयनशुदा दस्तावेज है। अप्रार्थी संख्या एक के पिता को पट्टा संख्या 90 विधि सम्मत जारी किया गया है एवं मौके पर उनका लगातार कब्जा था एवं वे उस पर आवास करते आ रहे थे। प्रार्थी ने अपने पुश्तैनी मालिकी स्वामित्व की भूमि का उल्लेख किया है लेकिन इस प्रकार की कोई भूमि प्रार्थी के मालिकी स्वामित्व की नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत सांतपुर का गॉव नयाखेडा का स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश अनुसार आबूरोड नगर पालिका की सीमा का विस्तार कर नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित हुआ है एवं ग्राम सांतपुर का भाग नगर पालिका क्षेत्र के अधीन वर्तमान में हो चुका है। वर्ष 1988 में ग्राम पंचायत सांतपुर के तत्कालीन सरपंच ने नियमानुसार अप्रार्थी संख्या एक के पिता नीलकण्ठ के हक में पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी व उसके परिवारजन अप्रार्थी संख्या एक की उक्त सम्पत्ति को बार बार हडप करने की नियत से कब्जा करने का प्रयास करते है, जिनका की उन्हें कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या एक के पिता का स्वर्गवास होने के बाद उक्त पट्टा संख्या 90 की भूमि बाबत् नगर पालिका रिकॉर्ड में अपने पिता के नाम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या एक अपना नाम नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु नगर पालिका आबूरोड के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर आस–पडौस से आपत्ति आमंत्रित की, जिस पर प्रार्थी ने नगर पालिका आबूरोड में आपत्ति प्रस्तुत की, जिन आपत्तियों को नगर पालिका आबूरोड को जॉच कर खारिज की गयी एवं अप्रार्थी संख्या एक के पिता के हक में जारी पट्टे को विधि सम्मत माना। उसके पश्चात दिनांक 05.12.2024 को प्रार्थी रमेश व उसके परिवार के सदस्य व ठेकेदार मौके पर अप्रार्थी सख्या एक की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर नींव खोदने लगे, तब अप्रार्थी संख्या एक को उसके रिश्तेदारान के जरिए सूचना प्राप्त हुई तब वह भंदर अपने रिश्तेदारी में विवाह समारोह में गया हुआ था जहाँ से तुरन्त आया एवं मौके पर प्रार्थी व उसके भाई व काम कर रहे कारीगर व मजदूरों को उलाहना दिया तथा इस संबंध में नगर पालिका, जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन प्रार्थी, उसके परिवारजन व कारीगर मौके पर अतिक्रमण करने हेतु आमादा होने से अप्रार्थी संख्या एक ने इस संबंध में सिविल न्यायाधीश महोदय आबूरोड में स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश तथा धारा 38 व 39 विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया एवं उसके साथ स्थगन आदेश भी प्रस्तुत किया, जो लम्बित है। इस प्रकार प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक के पिता के नाम जारी पट्टेशुदा सम्पत्ति को खुर्द बुर्द व हडप करने का प्रयास किया एवं उसी बदईरादे से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह कि प्रार्थी का इस प्रकरण से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। उसका कही भी हित प्रभावित नहीं होता है तथा इस प्रकरण में उसकी कोई Locus Standy नहीं है, जिससे उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जिससे उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही कानूनन परिपोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। शपथ पत्र के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक के पूर्वरसाधिकारी श्री नीलकण्ठजी त्रिवेदी को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी कर उसका पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय आबूरोड में दिनांक 27.10.1988 को ही करवाया था। इस

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 04

प्रकार रजिस्टर्ड दस्तावेजात् को निरस्त करने का सक्षम सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उक्त दस्तावेज सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बगैर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री नीलकण्ठ त्रिवेदी को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.10.1988 को पट्टा जारी किया गया था। उसके पूर्व से श्री नीलकण्ठजी का मौके पर कब्जा था तथा पट्टा जारी करने के पश्चात् वे उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे थे, उनकी मृत्यु पश्चात् अप्रार्थी संख्या एक काबिज है तथा सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त पट्टा जारी होने के 36 वर्ष पश्चात प्रार्थी ने उक्त पट्टा को निरस्त कराने के लिए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो अवधि बाहर होने से बाधित है एवं प्रथम दृष्टया ही निगरानी प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित निर्णयों अनुसार जहाँ कोई अवधि निर्धारित नहीं है, वहाँ प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त अवधि में प्रस्तुत होना अनिवार्य है एवं वह युक्तियुक्त अवधि तीन वर्ष की मानी गयी है। इस प्रकार यह निगरानी प्रार्थना पत्र अवधि बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमायें तथा अप्रार्थी संख्या एक को विशेष हर्जाना के रूपये 25,000/– भी प्रार्थी से दिलाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री महेश रावल द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक के पिता ने उनके कब्जेशुदा भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिये दिनांक 01.06.1983 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर मिसल संख्या 14/83 पर दिनांक 19.07.1983 को प्रस्ताव लेकर दिनांक 30.07.1983 को पंजीयन किया गया था एवं नियमानुसार मिसल का संधारण कर आपत्ति नोटिस जारी किये गये थे एवं ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव लेकर रूपये 1000 में उक्त भूमि का बेचान नीलकंठ पुत्र भीमेश्वर जी को नियम 266 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही कर उनके द्वारा रसीद संख्या 76 दिनांक 26.09.1988 को राशि जमा कराने पर दिनांक 22.10.1988 को पट्टा संख्या 90 क्रेता के पक्ष में नियमानुसार जारी किया गया था एवं उसके पश्चात उक्त पट्टे को दिनांक 27.10.1988 को उप पंजीयक कार्यालय आबूरोड में प्रस्तुत कर उसका अप्रार्थी संख्या एक के पिता के हक में जारी किया गया है एवं उक्त पट्टा पंजीबद्र दस्तावेज है, जो विधिक रूप से जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही बरती गई है। यह कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश कमांक एफ/148 एल.एस.बी./06/99/909 के अनुसार आबूरोड नगर पालिका की सीमा का विस्तार कर नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम पंचायत सांतपुर के ग्राम नयाखेडा को नगर पालिका क्षेत्र आबूरोड की सीमा में सम्मिलित किया गया तथा नयाखेडा के समस्त क्षेत्र की भूमि का रेकर्ड नगर पालिका को सुपुर्द किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा संख्या 90 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में एक दावा वादी दिनेश कुमार द्वारा सिविल न्यायालय आबूरोड में अवश्य प्रस्तुत किया गया है, जो लम्बित है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी संख्या दो मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमावे

अप्रार्थी संख्या तीन के लायक अधिवक्ता श्री अवधेश देवल द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 22.10.1988 को अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा गांव नया खेडा में 50X20 वर्गफीट भूखण्ड का पट्टा नीलकंठ पुत्र भीमेश्वर ब्राह्मण के पक्ष में अवश्य जारी किया हुआ है। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ/148 एल.एस. बी./06/99/909 के अनुसार आबूरोड नगर पालिका की सीमा का विस्तार कर नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम पंचायत सांतपुर के ग्राम नया खेडा को नगर पालिका क्षेत्र आबूरोड की सीमा में सम्मिलित किया गया है तथा नया खेडा के समस्त क्षेत्र की भूमि का रेकर्ड

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 05

नगर पालिका को सुपूर्द किया गया है तथा उपरोक्त रेकर्ड का अवलोकन करने से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि उक्त पट्टा संख्या 90 पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में एक दावा वादी दिनेश कुमार द्वारा सिविल न्यायालय आबूरोड में अवश्य प्रस्तुत किया गया है, जो लम्बित है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी संख्या तीन मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

सरपंच ग्राम पंचायत, सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री नीलकंठ पुत्र श्री भीमेश्वर निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के पक्ष में पट्टा संख्या 90 दिनांक 22.10.1988 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में से जारी किया गया है।

जहां तक अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किए जाने का कथन है, तो इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है। साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री नीलकंठ पुत्र श्री भीमेश्वर निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय सांतपुर में दिनांक 01.06.1983 को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा मिसल संख्या 14 दिनांक 30.07.1983 को संधारण की गई तथा दिनांक 02.08.1983 को विवादित भूखण्ड की मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लिया गया तथा दिनांक 04.08.1983 को ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाकर राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 260 के अन्तर्गत एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया जाकर आपत्ति मांगी जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 01.03.1987 को आपत्ति पत्र जारी किया गया तथा प्रशासन स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.10.1988 के प्रस्ताव संख्या 7 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पिता के हक में उक्त विवादित पट्टा संख्या 90 दिनांक 22.10.1988 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 06

अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त प्रश्नगत पट्टे को जारी करने की कार्यवाही के दौरान ही स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना संख्याः एफ(I)148/एस. एल.बी./899–909 दिनांक 28.06.1988 के द्वारा ग्राम पंचायत सांतपुर के ग्राम नयाखेडा को नगरपालिका क्षेत्र आबूरोड में सम्मिलित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना की पालना में नगरपालिका आबूरोड द्वारा दिनांक 05.08.1988 को ग्राम पंचायत सातपुर को पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया था कि नगरपलिका क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम नयाखेडा के समस्त क्षेत्र की भूमि का रेकर्ड नगरपालिका को सुपुर्द करावें तथा उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार के भूखण्ड का पट्टे आदि नहीं देवें। इसके अलावा कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/पंचायत/88/834–38 दिनांक 20.08.1988 के द्वारा सभी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को भूमि से सम्बन्धित रेकर्ड व अन्य सभी दस्तावेज नगरपालिका आबूरोड को सुपूर्द करने के आदेश जारी किए गए थे। अतः ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री नीलकंठ पुत्र श्री भीमेश्वर निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के पक्ष में पट्टा संख्या 90 दिनांक 22.10.1988 को जारी किया गया था, जो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना जारी होने के पश्चात जारी किया है। अतः स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना तथा नगरपालिका आबूरोड द्वारा दिनांक 05.08.1988 को ग्राम पंचायत सांतपुर को प्रेषित पत्र एवं कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 20.08.1988 को जारी आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित पट्टा जारी दिनांक 22.10.1988 को ग्राम पंचायत सांतपुर का ग्राम नया खेडा नगरपालिका क्षेत्र आबूरोड के अधीन था तथा उक्त ग्राम नयाखेडा नगरपालिका क्षेत्र के अधीन होने से ग्राम पंचायत सांतपुर को उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित कार्यवाही स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना जारी होने से पूर्व वर्ष 1983 में ही प्रारम्भ हो चुकी थी। अप्रार्थी अधिवक्ता यह कथन सत्य है, परन्तु स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा अधिसूचना जारी करने के पश्चात भी नगरपालिका आबूरोड द्वारा दिनांक 05.08.1988 को ग्राम पंचायत सांतपुर को पत्र प्रेषित कर सूचित कर दिया गया था कि नगरपलिका क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम नयाखेडा के समस्त क्षेत्र की भूमि का रेकर्ड नगरपालिका को सुपुर्द करावें तथा उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार के भूखण्ड का पट्टे आदि नहीं देवें। इसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा संख्या 90 दिनांक 22.10.1988 को अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री नीलकंठ के पक्ष में जारी किया गया है, जो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर, नगरपालिका आबूरोड एवं जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जारी आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि न्यायालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग आबूरोड द्वारा भी दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 56/88 अनवान नीलकंठ बनाम बाबूलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.1990 में भी उक्त विवादित पट्टा संख्या 90 दिनांक 22.10.1988 को संदिग्ध माना गया है, जिसकी पुष्टि न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा भी दीवानी आदेश अपील संख्या 15/90 नीलकंठ बनाम बाबूलाल व अन्य में पारित आदेश 06.10.1993 में भी की गई है। जहां तक उक्त विवादित पट्टे का पंजीकृत होने का प्रश्न है तो विधिक दृष्टांत 2018 (3) RLW 2325 Raj घेवरचंद बनाम राजस्थान सरकार में माना गया है कि Registration of a patta is only a Consequential event and when the pattas are found to have been issued contrary to the obtaining rules, the mere

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 07

registration thereof cannot be treated as a safe harbor. The cancellation of said patta by the competent authority will also thus entail would follow consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential.

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री नीलकंठ पुत्र श्री भीमेश्वर निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 90 दिनांक 22.10.1988 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री नीलकंठ पुत्र श्री भीमेश्वर निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 90 दिनांक 22.10.1988 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही